उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग-1

संख्या:-42/2019/1531/46-1-2019-20(05)/2019

लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर, 2019

**कार्यालय-ज्ञाप**

कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित नव उद्यमियों एवं नव अन्वेषणों को बढ़ावा देने हेतु प्रयोग/अन्वेषण करने वाले विद्यार्थियों/अन्वेषकों द्वारा अपने अन्वेषणों के परीक्षण एवं सुधार हेतु उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर एवं इसके क्षेत्रीय केन्द्रों को प्लेटफार्म के रूप में उपयोग किये जाने के दृष्टिगत शोध परिषद् को स्टार्ट-अप एवं इन्कूवेशन सेन्टर के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुतियां दिये जाने के लिए निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है:-

1. श्री विमल कुमार दुबे, प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ - अध्यक्ष
2. डा. ज्योत्स्नेन्द्र सिंह, निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर - सदस्य सचिव
3. डा. ए.डी. पाठक, निदेशक, भा.ग.अनु.सं., लखनऊ - सदस्य
4. निदेशक, भारतीय शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य
5. श्री वी.के. शुक्ल, अपर गन्ना आयुक्त(शोध एवं समन्वय), मुख्यालय - सदस्य
6. डा. वी.बी. सिंह, संयुक्त गन्ना आयुक्त(समिति), मुख्यालय - सदस्य
7. श्री आर.एल. टामक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.एस.सी.एल. चीनी मिल समूह - सदस्य
8. श्री कुलदीप कुमार, महाप्रबन्धक, निगोही चीनी मिल, डालमिया समूह - सदस्य

उपर्युक्त कमेटी उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर में उपलब्ध संसाधनों एवं तदनुसार स्टार्ट अप एवं इन्कूवेशन सेन्टर के क्रियान्वयन एवं इससे सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी। यथावश्यकता समिति के अध्यक्ष किसी अन्य विशेषज्ञ को भी समिति हेतु नामित कर सकते हैं।

**(संजय आर. भूसरेड्डी)**

प्रमुख सचिव,



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्याः- 42/2019/1531(1)/46-1-2019-20(05)/2019 /तद्दिनांकित**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
2. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
3. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर।
4. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
5. अपर गन्ना आयुक्त (शोध एवं समन्वय), मुख्यालय।
6. संयुक्त गन्ना आयुक्त(समिति), मुख्यालय।
7. श्री आर.एल. टामक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.एस.सी.एल.।
8. श्री कुलदीप कुमार, महाप्रबन्धक, निगोही चीनी मिल, डालमिया समूह।

**(कमल किशोर गुप्त)**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।